

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)
मु.न. 151/2013

1 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सुल्तान, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पिता स्व. श्यामसुन्दर
2. कमल किशोर पिता स्व. श्यामसुन्दर
3. अमिता पिता स्व. श्यामसुन्दर
4. तीजा देवी बेवा श्यामसुन्दर
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मोरीजा में पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 21.06.2016 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।


अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- यह की विवादित भूमि खाता संख्या 212 के आराजी खसरा नम्बर 1377/4765 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1378 रकबा 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1380 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. जगदीशप्रसाद पु0 सुल्तान राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूं मूर्तहीन जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1377/4765/1 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1378/1 रकबा 0.80 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.90 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.20 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती है।
2. रमेश कमलकिशोर पि0 श्यामसुन्दर अमिता पुत्री श्यामसुन्दर तीजा पत्नी श्यामसुन्दर जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1377/4765/2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1378/2 रकबा 0.38 हैक्ट., ख.न. 1379/1 रकबा 0.42 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला-जयपुर

- रकबा 0.90 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.20 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. जगदीश प्रसाद पु० सुल्तान हि० 1/2 राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूं मूर्तहीन रमेश, कमलकिशोर पि० श्यामसुन्दर अमिता पुत्री श्यामसुन्दर तीजादेवी पत्नी श्यामसुन्दर हि० 1/2 जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1380 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 1379/2 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.48 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मोरीजा पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


प्रियव्रत सिंह, चारण
आर.ए.एस
उप-डिप्टी-मैजिस्ट्रेट-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व

अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1 जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सुल्तान, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पिता स्व. श्यामसुन्दर
2. कमल किशोर पिता स्व. श्यामसुन्दर
3. अमिता पिता स्व. श्यामसुन्दर
4. तीजा देवी बेवा श्यामसुन्दर

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

5. उपपंजीयक महोदय, चौमूं, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 151/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-


1. जगदीशप्रसाद पु0 सुल्तान राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूं मूर्तहीन जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1377/4765 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1378/1 रकबा 0.80 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.90 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.20 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे में भूरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. रमेश कमलकिशोर पि0 श्यामसुन्दर अमिता पुत्री श्यामसुन्दर तीजा पत्नी श्यामसुन्दर जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1377/4765/2 रकबा 0.10 हैक्ट., ख.न. 1378/2 रकबा 0.38 हैक्ट., ख.न. 1379/1 रकबा 0.42 हैक्ट. कुल किता 3 का कुल रकबा 0.90 हैक्ट., जिसका कुल लगान 7.20 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. जगदीश प्रसाद पु0 सुल्तान हि0 1/2 राहिन ओ.बी.सी. शाखा चौमूं मूर्तहीन रमेश, कमलकिशोर पि0 श्यामसुन्दर अमिता पुत्री श्यामसुन्दर तीजादेवी पत्नी श्यामसुन्दर हि0 1/2 जाति मीणा सा. देह खातेदार को ख.न. 1380 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.न. 1379/2 रकबा 0.02 हैक्ट. कुल किता 2 का कुल रकबा 0.06 हैक्ट., जिसका कुल लगान 0.48 रुपये, जो संलग्न नजरी नक्शे मे नीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

प्र
उप खण्ड अधिकारी
जयपुर


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

दस्तखत 
ओहदा.....
उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

मूल वाद में प्रा0डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)
पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)
उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. सुल्तान, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
वादी

बनाम

- 1 रमेश पिता स्व. श्यामसुन्दर
- 2 कमल किशोर पिता स्व. श्यामसुन्दर
- 3 अमिता पिता स्व. श्यामसुन्दर
- 4 तीजा देवी बेवा श्यामसुन्दर
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
- 5 श्रीमान् उप-पंजीयक महोदय, चौमूं जिला-जयपुर
- 6 श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील, चौमूं जिला-जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबततकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट
मुकदमा नम्बर :- 151 / 2013
निर्णय दिनांक :- 21.06.2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रा0 डिक्री की जाती है तथा तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादीत भूमि आराजी ख0न0 1377 / 4765 रकबा 0.20हैक0, ख0न0 1378 रकबा 1.18हैक0, ख0न0 1379 रकबा 0.44हैक0, ख0न0 1380 रकबा 0.04हैक0, कुल किता-4 का कुल रकबा 1.86हैक0 वाके ग्राम मोरीजा का पक्षकार के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त मकानात/ रहवास को ध्यान में रखते हुये एवं सभी खातेदारों के लिए रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सरस नरस के आधार पर कुरेजात तैयार करने के आदेश दिये जाते है।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प मोरीजा मे आज तारीख 21.06.2016 को जारी किया गया।

मोहर



(अशोक कुमार योगी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक	1	
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।